उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या:5/2017/419 /सत्रह-म-2017- 6-9(333)/2016 टी0सी0

लखनऊ : दिनांक 28 मार्च 2017

शुद्धि–पत्र

शासनादेश संख्या - 4 /2017/271/ सत्रह - म- 2017-6-9 (333)/2016 टी0सी0 दिनांक 25-03-2017द्वारा भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016 में नई योजना के रूप में संचालित ''ब्लू रिवोल्यूशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज'' (मछुआ आवास योजना को छोडकर) योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी, जिसमें कतिपय त्रुटिवश शासनादेश दिनांक 25-03-2017 के तालिका के क्रम संख्या-1 (नये तालाबों का निर्माण) के कालम- 3 पर अंकित क्षेत्रफल 21.961 हे0 तथा क्रम संख्या- 3 क (नये तालाबों में निवेश) के कालम-3 पर अंकित क्षेत्रफल् 21.961 हे0 तथा क्रम संख्या- 3 (क) (नये तालाबों में निवेश) व 3 (ख) (सुधारे गये तालाबों में निवेश) के कालम -10 में अंकित धनराशि क्रमश: रू0 166.10 लाख व रू0 11.22 लाख का अंकन हो गया है । संयुक्त निदेशक मत्स्य के पत्र संख्या- 125/ नि0शा0/ दिनांक 27-03-2017 के द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव के अनुसार तालिका के क्रम संख्या-1 (नये तालाबों का निर्माण) के कालम-3 पर अंकित क्षेत्रफल 21.961 हे0 के स्थान पर 22.00 हे0 तथा क्रम संख्या- 3 क (नये तालाबों में निवेश) के कालम-3 पर अंकित क्षेत्रफल् 21.961 हे0 के स्थान पर 22.00 हे0 व क्रम संख्या- 3 (क) (नये तालाबों में निवेश) व 3 (ख)(सुधारे गये तालाबों में निवेश) के कालम -10 में अंकित धनराशि क्रमश: रू0 166.10 लाख व रू0 11.22 लाख के स्थान पर क्रमश: रू0 11.22 लाख व रू0 166.10 लाख तथा तालिका में इकाई धनराशि रू0 लाख का अंकन करते हुए निम्नवत संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

तालिका

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	लक्ष्य	परियोजना लागत	कुल बजट			अवमुक्त धनरशि (प्रथम किश्त)		
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नये तालाबों का निर्माण	**22 हे0**	154.00	77.00	38.50	115.50	34.98	17.50	52.48
3	मत्स्य पालन हेतु इनपुट कास्ट क- नये तालाबों में निवेश ख- सुधारे गये तालाबों में निवेश	347.00 (हे0) **22 हे0** 325 (हे0)	520.50	260.25	130.125	390.375	118.24	59.08	177.32 **11.22** **166.10**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3- शासनादेश संख्या 4/2017/271/ सत्रह -म- 2017-6-9 (333)/2016 टी0सी0 दिनांक 25-03-2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव ।

संख्या :5/2017/ 419 / सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक/ संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ सूचनार्थ प्रेषित कि ''ब्लू रिवोल्यूशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज'' (मछुआ आवास योजना को छोडकर) योजनान्तर्गत निर्गत स्वीकृतियों के सम्बंध में तत्काल अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये।
4- वित्त् एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
5- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
6 -सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 नियोजन अनुभाग-3 ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com